

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

3
7/7/2016

आरबीई सं. 56/2016

नई दिल्ली, दिनांक 27/05/2016

सं. ई(एनजी)II/2014/आरआर-1/3

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड

विषय: भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न रेल संस्थापनाओं ने वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रस्तुत की गई शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने अथवा स्वीकार न करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसमें निम्नलिखित पृष्ठांकन अन्तर्विष्ट है:-

"उपयुक्त विषय में इंजीनियरी में डिप्लोमा और उपयुक्त क्षेत्र में 10 वर्षों के तकनीकी अनुभव को इंजीनियरी में डिग्री के समकक्ष माना जाता है। इसे केन्द्र या राज्य सरकार के राजपत्रित पदों और सेवाओं के लिए चयन के प्रयोजन से वैध माना जाता है।"

2. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के डिप्लोमा प्रमाणपत्रों में यह पृष्ठांकन शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय (तकनीकी शिक्षा विभाग) मंत्रालय के दिनांक 26/5/1977 के पत्र सं. एफ-18-19/75/टी-2 में अन्तर्विष्ट एक अधिसूचना के आधार पर की गई है।

3. वायुसेना मुख्यालय/नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 26/5/1977 की अधिसूचना को श्री ओम प्रकाश कंगोत्रा और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में ओए सं. 343/पीबी/2013 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिनांक 15.12.2015 के अपने आदेश में लीक से परे घोषित किया गया है।

4. उपर्युक्त के आलोक में, यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त प्रमाणपत्रों को जिनमें रेलवे में भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के रूप में इंजीनियरी में डिग्री को अधिसूचित किया गया है, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया पावती दें

{इससे उत्तर पश्चिम रेलवे के दिनांक 11/1/2016 और 16/2/2016 के पत्र सं. 742-ई/आर एण्ड टी/मैके/योड सी/वॉल्यूम IV, आरआरबी भोपाल का दिनांक 16/4/2013 के पत्र सं. आरआरबी/बीपीएल/पैनल/139 और रेलवे भर्ती बोर्ड/अहमदाबाद का दिनांक 24/6/2013 का पत्र सं. आरआरबी/एडीआई/ई/आर एण्ड टी/01/2012/एसईएस का निपटारा हो जाता है।}

नीरज कुमार
(नीरज कुमार)

निदेशक स्था. (एन)II

रेलवे बोर्ड

2/-

(Neeraj Kumar)
Director Estt. (N)-II
Railway Board
.....2/-